न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 19/2022

1. हाकम अली पुत्र हनीफ खां जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जैतून पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बलकिशा पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जरीना पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. नूरसलाम पुत्र हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सरिया बानो पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. युनूस पुत्र हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. याकूब पुत्र हनीफ जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नाहर

–रेस्पोडेन्टस्

अतिरिक्त जिला कलक्टर

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2,3

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–5

निर्णय दिनांकः–06.07.2023

6/7/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलांट हाकम अली पुत्र हनीफ खां जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर द्वारा तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.03.2022

रोही मौज जोगीआसन संख्या–02 को अपास्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुतत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 82 स्वीकृति आदेश दिनांक 02.03.2022 रोही मौजा जोगीआसन सं. 2 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर विधि विरूद्ध एवं एक पक्षीय होने से अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा जोगीआसन सं. 2 तहसील, नोहर के खाता सं. 16/16 के ख.न. 14 की 4.7800 हैक्टर भूमि, हनीफ खां वल्द गनी कौम मुसलमान कुम्हार अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 7 के पिता के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता हनीफ खां वल्द गनी कौम मुसलमान कुम्हार दिनांक 21.11.2003 को फौत हो चुके है। अपीलान्ट की माता पारसा पत्नि हनीफ दिनांक 12.01.2013 को फौत हो चुकी है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस उनके वारिसान है।
3. कृषि भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्टस व अपीलान्ट के उक्त भूमि ब. हि. ब. दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 7 जाति से मुसलमान है तथा मुस्लिम विधि से शासित है। मोहम्मडन लॉ की धारा 118 के अनुसार पुत्रो का उपरोक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा व पुत्रीयों का 1/8 हिस्सा की खातेदार है जबकि पुत्रीयों का दुगुना हिस्सा पुत्रो के पक्ष में व हिस्सा में आता है परन्तु मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट पुत्र वारिसो का हिस्सा बहिन वारिसो के हक व हिस्सा अधिक दर्ज कर दिया अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 6 व 7 का हक व हिस्सा रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 5 के दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 6 व 7 का 1/4 हिस्सा के प्रत्येक अलग–अलग खातेदार काश्तकार थे। उनके 1/8 हिस्सा कतई अनुचित तरीके से दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तरण मोहम्मडन लॉ की धारा 118 के विपरीत है। विधि की अवहेलना में होने से अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।
4. अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। विधि की अवहेलना में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 7 का हक व हिस्सा के रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के अधिक दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व जवाब देही व साक्ष्य का कोई समुचित अवसर नही दिया गया है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण एक पक्षीय मनमाना व गलत है तथा विधि की अवहेलना में तथा नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
5. यह कि अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 6 व 7 तीनो का वाद भूमि प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे अर्थात 3.585 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 5 का 1.195 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है जबकि

रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 5 के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस की भूमि दर्ज कर दी, जिसका मातहत अदालत को अधिकार क्षेत्र नही था। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 82 दिनांक 02.03.2022 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त फरमाई जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 2, 3 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–04 जरिये रजिस्ट्र्ड डाक ए.डी. से तामिल होनें के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या–04 उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–05 की ओर से श्री मांगीलाल बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये एंव इकबाल अपील प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–6, 7 द्वारा उपस्थित होकर इकबाल अपील पेश किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट भाई बहन है। हनीफ खां फौत होनें के उपरान्त विरासतन नामान्तरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार दर्ज किया गया। अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट जाति से मुसलमान है। अतः विरासतन नामान्तरण मुस्लिम अधिनियम की धारा 118 के अनुसार दर्ज होना था, जिसमें पुत्रों का 1/4 हिस्सा एंवम पुत्रियों का 1/8 हिस्सा होता है। उसी अनुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था। अतः विरासतन नामान्तरण मोम्मडन लॉ के विरूद्ध है। प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। इस निम्न हेतू दृष्टांत पेश किया–

1. Citation: RLW2013(1)RJ18
2. 1999 RRD Page 568
3. 1977 RRD Page 92
4. 2018 RBJ Page 710

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार उक्त प्रकरण पर मुस्लिम विधि लागू होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2, 3 श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि दो अपीले नामान्तरण संख्या 82 एंव नामान्तरण संख्या 1474 दिनांक 02.08.2022 को दर्ज हुये। ये भूमि दो जगह है। यह नामान्तरण स्वंय हाकम अली द्वारा करवाया गया है। स्वंय द्वारा शपथ–पत्र पेश किये गये। अपील की मद संख्या–04 में कहा कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि नामान्तरण स्वंय हाकम अली, युनूस, याकूब, नूरसलम, एंव सरिया बानों द्वारा स्वंय दर्ज करवाया गया है। दोनों

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) 06/7/23

नामान्तरण में भी यही स्थिति है। पूर्व में नामान्तरण स्वंय दर्ज करवाकर रेस्पोडेन्ट सख्या-4, 5 दोनों से हक त्याग करवा लिया। उसी भूमि के हक त्याग के पश्चात अपील कर रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में जहां व्यक्तिगत कानून के तहत निरवसीयत मर गया है वहां स्वंय विधि के अनुसार दर्ज करवा सकते है। इस हेतू निम्न दृष्टांत पेश किये- Citation:RBJ 2020 Page no. 194 to 198

इनको सुनकर ही नामान्तरण किया गया, फिर भी नामान्तरण की अपील कर दी। नामान्तरण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज हुआ है। अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः बहस में कथन किया कि दर्ज नामान्तरण मोहम्मडन लॉ के विरूद्ध है। लॉ के विरूद्ध है तो विधि विरूद्ध है, यह कोर्ट में साबित करना होगा- Evidance Act की धारा 13, 44, 48 द्वारा। इस हेतु निम्न दृष्टांत पेश किये- 1977 RRD Page 92

रेस्पोडेन्ट संख्या- 5, 6, 7 ने इकबाल अपील पेश किया है। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रियों का अधिकार नहीं होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार नामान्तरण दर्ज होना था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या-1, 2, 3 ने पुनः कथन किया कि विबंधन का नियम लागू होता है। स्वंय ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। स्वंय की पूर्व स्वीकृति है। Evidance Act 115 के तहत जहां सुनकर हुआ है, वहां विबन्धित है।

हमनें अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व दृष्टांतो का अवलोकन, मनन किया। दस्तावेज देखनें से स्पष्ट होता है कि नामान्तरण दर्ज करवानें हेतू अपीलांट ने स्वंय आवेदन के साथ शपथ -पत्र प्रस्तुत किए। ऐसे मे दर्ज नामान्तरण की जानकारी न होना विश्वास से परे है। यहां Evidance Act की धारा 115 विशेषतः उल्लेखनीय है। जब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-4, 5 की ओर से हक त्याग हेतू आवेदन करवाया, वहां भी उनके हस्ताक्षर व शपथ-पत्र स्पष्ट प्रकटीकरण करते है कि प्रार्थी को ज्ञात होगा कि नामान्तरण में क्या वर्णित है। अपीलांट समस्त तथ्यों से परिचित होते हुए भी विधि का बिंदु लेकर उपस्थित होता है तो स्पष्ट है कि अपीलांट स्वच्छ इरादे से न्यायालय में नहीं आया है वरन् स्वार्थवश उपस्थित हुआ है। मुस्लिम विधि का प्रशन निचली अदालत में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। विशेष विधि संबंधी बिंदु तब लागू होते है जब प्रार्थी की जानकारी के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा निर्णय फलीभूत हुआ हो। यहां अपीलांट को हर तथ्य की जानकारी थी। इस प्रकार अपीलांट विबंधित हो जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर
06/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2/5

चस्पा होते है। जबकि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया चस्पा नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.07.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

06/7/23

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)